मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल — 462004

क्रमांक एफ 5–6/2020/1/4 भोपाल, दिनांक 16 जून 2020

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।

विषयः— दिनांक 21 जून 2020 को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घर पर रहकर योग की गतिविधियों में स्वेच्छिक सहभागिता किए जाने विषयक।

संदर्भः— सचिव, भारत सरकार आयुर्वेद, योग प्राकृतिक चिकित्सा विभाग आयुष भवन नई दिल्ली का पत्र क्रमांक /D.O.-/M/16011/42/2019—YN/ दिनांक 03 जून 2020

———

भारत सरकार आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा विभाग आयुष भवन, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र के अनुक्रम में पूर्व वर्षो की भॉति इस वर्ष भी दिनांक 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया जाएगा। वर्तमान कोविड–19 संक्रमण वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में योग प्रदर्शन का कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घर पर ही रहकर संपूर्ण प्रदेश में एक ही समय पर स्वेच्छिक रूप से आयोजित किया जाना है।

<u>उक्त आयोजन के विषय में प्रमुख निर्देश निम्नानुसार हैं :—</u>

1. योग दिवस पर योग एवं प्राणायम करने के मुख्य उद्‌देश्यः—
   - योग के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाना।
   - तनाव से मुक्ति हेतु योगाभ्यास किया जाना।
2. **प्रत्येक विभाग** उक्त आयोजन के संबंध में विभाग से एक नोडल अधिकारी नियुक्त **करेंगें।**
3. **आयुष विभाग** भारत सरकार द्वारा योग कार्यक्रम के दौरान किये जाने वाले योगासनों **के बारे में एक** कॉमन प्रोटोकाल निर्धारित करते हुए इस बारे में एक ई–बुक एवं **वीडियों तैयार किये गये है,** जिसे वेबसाईट yoga.ayush.gov.in से डाउनलोड किया **जावे।**
4. **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व योगाभ्यास** हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न माध्यमों **जैसे— यूटयूब, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम इत्यादि** पर सामान्य योगा प्रोटोकाल के **संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई है।**

Scanned by CamScanner

5. कामन योगा प्रोटोकाल 45 मिनट की अवधि का रहेगा जो दूरदर्शन एवं अन्य माध्यमों से निर्धारित समय प्रातः 7:00 बजे से 7:45 बजे तक प्रसारित होगा। इस अवधि में जन प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, सामान्यजन, महाविद्यालय एवं विद्यालयों के विद्यार्थी, एन.सी.सी.केडिट, एन.एस.एस.केडिट, विभिन्न योग संस्थाओं के सदस्य, अभिभावक इत्यादि योग कार्यक्रम में घर पर ही रहकर स्वेच्छा से भाग ले सकेगें। भाग लेने वालों के लिये किसी विशिष्ट रंग के परिधान अनिवार्य नहीं है। यथासंभव विद्यार्थीगण में बालक ढीले एवं आरामदायक वस्त्रों में योगाभ्यास की गतिविधियों में भाग ले सकेंगें।
6. 6वें योग दिवस के ऑनलाईन प्रचार प्रसार हेतु विषय वस्तु का निर्धारण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियत किया जावेगा तथा तद्नुसार उक्त सामाग्री का निर्माण मध्यप्रदेश माध्यम के द्वारा किया जायेगा।
7. प्रत्येक विभाग उक्त आयोजन के प्रचार प्रसार हेतु अपने विभाग के संबंधित अधिकारियों को " वेबीनार" या स्वंय के विभागीय डिजीटल प्लेटफार्म के माध्यम से योग दिवस पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में अपने अधीनस्थों से समय--समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेंगें।
8. यह आयोजन पूर्णतयः स्वेच्छिक है, अस्वस्थता की स्थिति में कदापि आयोजन में सहभागिता नहीं करें।
9. कोविड–19 वायरस संक्रमण के कारण योग का कोई भी सामूहिक आयोजन नहीं किया जाये।

16/6/2020
(डी. के. नागेन्द्र)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5–6/2020/1/4 भोपाल, दिनांक 16 जून 2020

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजभवन, भोपाल ।
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
3. उप सचिव मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
5. आयुक्त जनसंपर्क भोपाल।
6. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन ।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।
8. संचालक, एन.सी.सी./एन.एस.एस. संचालनालय मध्यप्रदेश ।
9. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

16/6/2020
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned by CamScanner